



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53770

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 8970 वर्ष 2026

सनीआवेदक(गण)
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्यप्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता : शशि कुमार मिश्रा
प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन,

1. आवेदक की ओर से दायर पूरक शपथपत्र को अभिलेख में लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. मिश्रा और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता कुँवर तेजेंद्र बहादुर को सुना।
3. यह जमानत आवेदन परीक्षण की लम्बितता के दौरान आवेदक को मामला अपराध संख्या 05 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पुलिस स्टेशन सिधपुरा, जिला कासगंज में जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि हालांकि आवेदक मृतका का पति है, लेकिन झूठे आरोप के आधार पर उसे इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है।
5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में, विवाह के बाद से ही मृतका आवेदक से खुश नहीं थी और यद्यपि उसने एक बच्ची को जन्म दिया था, फिर भी वह अपने वैवाहिक जीवन से बेहद असंतुष्ट थी इसलिए वह आवेदक से झगड़ा किया करती थी और कभी-कभी तो उसका विवाद

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक के परिवार के अन्य सदस्यों से भी हो जाता था। वैवाहिक कलह के कारण ही उसने विवाह के ढाई साल के भीतर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने आगे कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही पता चलता है कि मृतका की मृत्यु फांसी के कारण हुई थी।

6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 21.01.2025 से यानी पिछले एक साल से अधिक समय से जेल में है।

7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने हालांकि जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए तर्कों पर विवाद नहीं कर सके।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

9. हालांकि, आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की विवाह के ढाई साल के भीतर ही असामान्य परिस्थितियों में उसके ससुराल में मृत्यु हो गई थी और 80,000 रुपये की मांग को लेकर यातना देने का भी आरोप है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतका की मृत्यु फांसी के कारण हुई है, इसलिए इस स्तर पर मृतका द्वारा आत्महत्या की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

10. इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 21.01.2025 से यानी पिछले एक साल से अधिक समय से जेल में है।

11. अग्रेतर, कानून में यह बात तय है कि जब तक किसी अभियुक्त का अपराध सिद्ध न हो जाए, उसे निर्दोष माना जाता है और जमानत आवेदन को न तो दंडात्मक और न ही निवारक प्रयोजन से खारिज किया जाना चाहिए।

12. इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और एक वर्ष से अधिक की कैद को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. तदनुसार, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

14. आवेदक- **सनी** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानती प्रत्येक समान राशि के प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक को निर्धारित तिथियों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

15. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां पर किए गए संप्रेक्षण जमानत आवेदन के निपटारे से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त संप्रेक्षणों का परीक्षण के दौरान मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

17 मार्च, 2026

शहरोज

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।